RRSM Ltd., JPR/2004/1717

प्ररूप - 4ख

(नियम 59, 61, 62)

.....*पंचायत समिति/जिला परिषद् के प्रधान/उप प्रधान/प्रमुख/उप प्रमुख के लिये निर्वाचन के नाम निदेशन का प्ररूप

1. अभ्यर्थी का पूरा नाम : .....
2. पिता या पति का नाम : .....
3. आयु : .....
4. लिंग : .....
5. जाति : .....
6. पता : .....

.....

7. निर्वाचन क्षेत्र का क्रम संख्यांक जहां से वह सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था : .....
8. प्रस्थापक का पूरा नाम और पता : .....

.....

स्थान : .....

तारीख : .....

प्रस्थापक के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी की घोषणा

मैं, उपुर्यक्त नामित अभ्यर्थी, इस नाम निर्देशन के लिये मेरी सहमति देता हूँ और इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में प्रगणित किन्हीं भी निरर्हताओं के अधीन नहीं हूँ और यह कि मैं उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उक्त स्थान के लिये अभ्यर्थी होने के लिये अर्हित हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि, —

(क) मुझे इस निर्वाचन में .....

(राजनीतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया है, अथवा

(ख) मैंने निम्नलिखित प्रतीकों का चयन किया है :-

(i) ..... (ii) ..... (iii) .....

स्थान : .....

तारीख : .....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

क्र.सं. :

यह नाम निर्देशन पत्र मुझे .....

(अभ्यर्थी या उसके प्रस्थापक का नाम) द्वारा ..... (तारीख और समय) प्रस्तुत किया गया।

स्थान : .....

तारीख : .....

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

रिटर्निंग अधिकारी का आदेश

स्वीकृत/अस्वीकृत

अस्वीकृत किये जाने के कारण .....

स्थान : .....

तारीख : .....

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

अभिस्वीकृति

..... पंचायत समिति/जिला परिषद के .....

के रूप में निर्वाचन के लिये श्री ..... का नाम निर्देशन पत्र, जो मुझे, आज दिनांक ..... को ..... (समय) बजे श्री ..... द्वारा पेश किया गया, प्राप्त हुआ।